Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
रिछपाल पुत्र गेमाराम, सम्पूर्ण चाबड़िया		भवानीसिंह पुत्र दीपसिंह, सम्पूर्ण चाबड़िया

किस्म मुकदमा ..... अधीन धारा 188 R.T.A. मु.नं. 120/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23/5/18	वादी ने प्रतिवादीगण के खिलाफ नियमानुसार धारा 188 R.T.A. के तहत पेश किए वादी का दावा किया चाबड़िया के पक्ष का प्रतिवादी को तलब किया वादी एवं प्रतिवादी (नं. 1 व 2) मौजूदा के समक्ष समझाया समझाने पर पंचायत सभी पुष्ट किए ग्राम चाबड़िया के धारा 336, 336, 337 का इकरार कराने पर मुताबिक लिखित इकरार के कागजात पेश किये तहसीलदार हुजूर को इकरार किया है ही मेरे के आदेश दिये गये। वादी प्रतिवादी ने राजीनामा पेश किया है। 1 से 2 वादी के कोई प्रतिवादी शेष नहीं होने के बाद वादी राजीनामा स्वीकार किया जाता है पक्षकार के बाद हमेशा पश्चात है। फैसला दर्ज किया चाबड़िया के नाम उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	